

पृष्ठ सं.

राजेश सिंह
निदेश संख्या
3/810 शासना

सेवा में

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
3040, लखनऊ

तखन सं. : दिनांक : 20 अगस्त, 2015

नगरीय राजगार एवं गरीबी
अन्वेषण कार्यक्रम विभाग।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिये अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियाँ तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजनान्तर्गत रिलोकेशन आवासों की 01 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1303/77/10/उः/विधि/आसरा/तकनीकी (जौनपुर-मडियाहू-144) दिनांक 30 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियाँ तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से जनपद जौनपुर की निकाय-मडियाहू की 41 रिलोकेशन आवासों की 01 परियोजना हेतु रु 196.97 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित प्रथम किशत के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि 98.485 लाख (एक अठ्ठानवें लाख अठ्ठासहस्र हजार पांच सौ मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र/सं०	जनपद/निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या	परियोजना की कुल अवस्थापना सुविधाओं सहित कुल आवासीय लागत।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों परियोजना अवस्थापना सहित कुल लागत।	धनराशि के हेतु की सुविधाओं आवासीय	प्रथम किशत (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (सन्देह याज्ञ एवं लेबर संश सहित)।
1	2	3	4	5	6	7	7
1	जौनपुर/मडियाहू	144	691.78	41	196.97		98.485
	योग			41	196.97		98.485

- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णश्रेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रथमतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अदरथ प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

राजेश सिंह/निदेशक

3. प्रायोजक का निर्माण कार्य एवं कार्य से पूर्व मानचित्रों के माध्यम से स्थानीय विकास प्राधिकरण/सहायक नगरपालिका से स्वीकृत करा जायेगा साथ ही नियमानुसार सम्बन्धित आदेशों व विधानों आदेशों एवं पर्यावरण विचारों प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजक द्वारा एवं अनिवार्यतः प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन उपर्युक्तानुसार लिखित नद में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत परियोजना में बाजकीकृत क्षेत्रफल, मानचित्र एवं माप में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्त नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/कार्य में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दश में उसी कार्य/कार्य में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजना का गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एल्यूमिनियम अनुमानित नहीं होगा।
6. सूझा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राजस्व विभाग द्वारा जारी अन्य नोट से कोई शर्त स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परियोजना के अन्तर्गत होने एवं कार्य की दिशावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे सूझा/डूडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजकान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बनाना, कार्य के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशेषताओं इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्य की कार्यवाही संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाने समय प्रायोजकता लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षण प्रायोजकता प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजकता लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सीट आवासी के भू-स्वामियों के भू-स्वामित्व व सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सूझा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आगरा योजनान्तर्गत आवासी के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आगरा के पर्याप्त राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिशर्तों का सक्षम स्तरीय निराकरण करवाकर गुणवत्ता आदि विद्युत् में स्थित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्रय प्राप्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा/उपनगर माध्यम से निर्माण डूडाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उपरान्तुसार सभी पहलुओं पर आश्रय हो लेंगे।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं नगरीय उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहरताकरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाजघर संख्या, तिथि तथा लेख शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते व पी०एन०एन० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रशजगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।

14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यश कलेक्टर अवरण कय विषय उच्च योजनागतगत प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत उक्त धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात् तथा उसके सप्ले शीटिक प्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात् उच्चनिष्ठ प्रमाण पर शासन को समय से उपलब्ध कराया जाएगा। तदुपरोक्त योजना की अवशेष/द्वितीय किस्त की धनराशि अनुमत्त की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त वापस हो भाषस करनी होगी।
15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उओएओ, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने शर्तों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायेंगे।
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अनुमत्त करने से पूर्व अनुयाय (एमओओयू) निष्पादित किये जाने हेतु सूझा द्वारा सम्बन्धित इका को निर्देशित किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य शासक द्वारा एसओसी/एसओपीओ/टीओएसओपीओ हेतु निर्धारित व्यवस्थानुसार केवल अनुसुचित जाति के लिए ही किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययान्त में अनुराज संख्या 83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-789-अनुसुचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-सूहद निर्माण कार्य।" के तहत डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2/2015/बी-1-925/दत-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समन-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।


भवदीय,

 (एसओपीओ सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या-764/2015/1894(1)/69-1-15, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उओएओ, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उओएओ, छठवां तब, संगम प्लेस, तिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उओएओ शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, जौनपुर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उओएओ शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उओएओ शासन।
7. रामाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सनाज कल्याण विभाग, उओएओ, शासन।
8. मुख्य कौषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उओएओ, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूझा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करावे हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

 (एसओपीओ सिंह)
 विशेष सचिव।

सेवक,
 एच0पी0 सिंह
 विशेष सचिव
 30प्र0 शासना

सेवा में -
 1 विदेशक,
 राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
 30प्र0, लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक : 20 अगस्त, 2015

नगरीय योजनाएं एवं गरीबी
 अनुसूची कार्यक्रम विभाग।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिये अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियाँ तथा नगरीय मलिन बस्तियाँ में आसरा योजना अन्तर्गत रिलोकेशन आवासों की 01 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1804/190/10/एच/विधि/आसरा/तकनीकी (सोनभद्र-चुके-गुर्मा-120) दिनांक 30 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कबले का विदेश हुआ है कि शहरी दर्जे में अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियाँ तथा नगरीय मलिन बस्तियाँ में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या 83 से जनपद-सोनभद्र की लिकाय-चुके-गुर्मा की 71 रिलोकेशन आवासों की 01 परियोजना हेतु रु0 334.91 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सौंपन तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित प्रथम किशत के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि 167.455 लाख (रुपये एक करोड़ सरसठ लाख पैंतालिस हजार पांच सौ मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय जिनका लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-


क्र0 सं0	जनपद/लिकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या।	परियोजना की कुल अपस्थापना सुविधाओं सहित कुल आवासीय लागत।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के परिवारों की अपस्थापना सहित कुल लागत।	प्रथम किशत (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (संकेत चार्ज एवं सेवर से0 सहित)।
1	2	3	4	5	6	7
1	सोनभद्र/चुके-गुर्मा	120	566.05	71	334.91	167.455
योग				71	334.91	167.455

- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012(टी.सी.), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012(टी.सी.) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रथम किशत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुरितका खण्ड-6 के अध्याय-12 के पारन्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अपरर्थ प्राप्त कर ली जायेगी तथा राक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री 00 00 / श्री 00 00 0

3. प्रायोजना के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवंटनों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रायोजना के निर्माण के लिए आवंटित राशि से स्वीकृत किया जायेगा। साथ ही नियमानुसार सार्वजनिक आयोजनाओं एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निर्दिष्ट मद में व्यय की जायेगी। योजनावर्गीय परिवर्तनों में मानकीकृत क्षेत्रफल, मानचित्र एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्त नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दश में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परिवर्तनों में पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एरकेलेशन अनुमत्त नहीं होगा।
6. सूझ/झूझ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्ण में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की दिशावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे सूझ/झूझ द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनावर्गीय कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्य के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाने समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सीट्टू आवसों के भू-स्वामियों के भू-स्वामित्व का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सूझ/झूझ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनावर्गीय आवसों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवस बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिसूचित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित झूझ द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित झूझ/आसरे के माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपॉजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्वीकृति की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।


14. राजधानी के विभाग चांदी बिल्डींग वर्ष 2015-16 में सवा करोड़ अथवा कम लागत का कार्यवाही प्रथम किशत के रूप में स्वीकृत अथवा धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने पर पर्याप्त तथा उचित सापेक्ष शौचक प्रणाली/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण परीक्षण का समय से उपलब्ध कराया जाएगा। तदुपरांत योजना की अंश/उद्भाग किशत की धनराशि अनुमति की जायेगी। निर्धारित अंश के बाद अनुमति धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करती होगी।
15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ आहरण की पर्याप्तता पर अपने लेखों का मित्रा महलेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायेंगे।
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण ड्रॉइंग से यथाव्यवस्था धनराशि अनुमति करने से पूर्व अनुमति (एम०ओ०पी०) निष्पादित किये जाने हेतु सूझा द्वारा सम्बन्धित ड्रॉइंग को निर्दिष्ट किया जाएगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एन०सी०एल०पी०/टी०एल०पी० हेतु निर्धारित व्यवधानुसार केवल अनुसूचित जाति के लिए ही किया जायेगा।
18. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 83 का अंतर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत 02-शहरी आवास 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24 वृद्ध निर्माण कार्य।" के तहत उठाया जायेगा।
19. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाय संख्या 2/2015/बी-1-925/दस-2015 231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या-165/2015/1897(1)/69-1-15, तद्विज्ञांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हस्तारि), प्रधान, उ०प्र०, 20 सरोजनी नाथू नगर, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबो उन्नयन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सोनभद्र।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र०, शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जयहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
10. सहायक डेब्ट मास्टर, सूझा को विभागीय डेब्ट साइड पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/दस्तावेज सहायक।

आज्ञा से,

 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।